मध्यप्रदेश विधान सभा

सदन की कार्यवाही का

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग - एक)

नवीन विधान सभा भवन, भोपाल

षोडश विधान सभा - संयुक्तांक

प्रथम सत्र : दिनाँक 18 से 21 दिसम्बर, 2023

द्वितीय सत्र : दिनाँक 7 से 19 फरवरी, 2024

तृतीय सत्र : दिनाँक 1 से 19 जुलाई, 2024

चतुर्थ सत्र : दिनाँक 16 से 20 दिसम्बर, 2024

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल

मध्यप्रदेश विधान सभा

राज्यपाल महोदय	-	श्री मंगुभाई पटेल (08.07.2021 से निरंतर)
सामयिक अध्यक्ष महोदय	-	श्री गोपाल भार्गव (14.12.2023 से 20.12.2023)
अध्यक्ष महोदय	-	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर (20.12.2023 से निरंतर)
मुख्यमंत्री महोदय	-	डॉ. मोहन यादव (13.12.2023 से निरंतर)
नेता प्रतिपक्ष महोदय	-	श्री उमंग सिंघार (18.12.2023 से निरंतर)

सभापति तालिका (प्रथम से चतुर्थ सत्र)

1. श्री अजय विश्नोई
2. श्रीमती अर्चना चिटनीस
3. डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
4. डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह
5. श्री लखन घनघोरिया
6. श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी

अधिकारीगण

प्रमुख सचिव	-	श्री अवधेश प्रताप सिंह
सचिव	-	श्री अरविन्द शर्मा
कार्यवाही सम्पादक	-	श्री अजय कुमार चौरे
सहायक संदर्भ अधिकारी	-	श्री अनवारूद्दीन काजी

सहयोग

कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री प्रियंकर रघुवंशी

मध्यप्रदेश विधान सभा

सदन की कार्यवाही का

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग - एक)

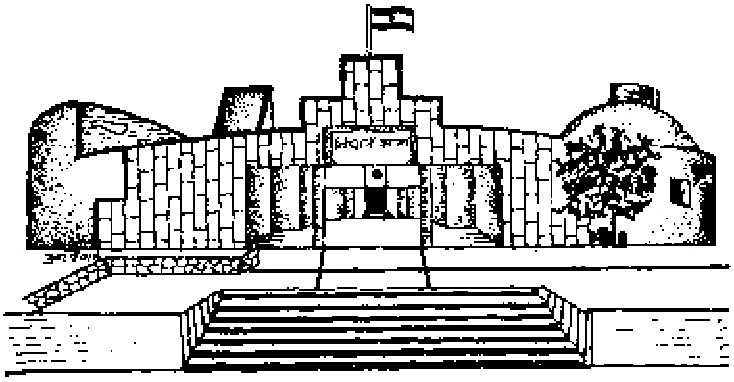

नवीन विधान सभा भवन, भोपाल

षोडश विधान सभा (प्रथम सत्र)

दिनाँक 18 से 21 दिसम्बर, 2023

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल

भूमिका

इस **"संक्षिप्त कार्य विवरण"** पुस्तिका को प्रकाशित करने का मूल उद्देश्य मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रत्येक सत्र की विस्तृत कार्यवाही का सारांश रूप में विहंगावलोकन है, जिससे कि वर्तमान और भविष्य के लिए इसको संदर्भ एवं तुलनात्मक रूप से, तथ्यपूर्ण अध्ययन-विश्लेषण की दृष्टि से संजोया जा सके. इस संकलन में नवगठित षोडश विधान सभा के प्रथम से चतुर्थ सत्रों की सम्पन्न बैठकों की कार्यवाहियों का संक्षिप्त कार्य विवरण क्रमानुसार दर्शाया गया है.

1. दिनाँक 18 से 21 दिसम्बर, 2023 के प्रथम सत्र में कुल 4 बैठकें प्रस्तावित व सम्पन्न हुईं. कार्य मंत्रणा समिति का 1 प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत किया गया. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव चर्चा उपरांत स्वीकृत किया गया.

2. दिनाँक 7 से 19 फरवरी, 2024 के द्वितीय सत्र में कुल 9 बैठकें प्रस्तावित थीं किन्तु 6 बैठकें सम्पन्न हुईं. सत्रकाल में कुल 2303 प्रश्न, 36 स्थगन प्रस्ताव, 185 नियम 267- क के अधीन सूचनाएं, 572 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं, 264 याचिकाएं प्राप्त हुईं, 8 शासकीय विधेयक पारित हुए, 1 अध्यादेश और 57 प्रतिवेदन पटलित किए गए एवं 64 अधिसूचनाएं पटलित की गईं, कार्य मंत्रणा समिति का 1 प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत किया गया. वित्तीय कार्य में वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन एवं स्वीकृति के बाद तत्संबंधी विनियोग विधेयक पारित किया गया.

वर्ष 2013-14 की अधिकाई अनुदानों की मांगों का उपस्थापन, चर्चा उपरांत स्वीकृति एवं विनियोग विधेयक पारित.

वर्ष 2016-17 की अधिकाई अनुदानों की मांगों का उपस्थापन, बिना चर्चा स्वीकृति एवं विनियोग विधेयक पारित.

वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा एवं वित्तमंत्री के उत्तर के बाद वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक (लेखानुदान) की मांगों का प्रस्ताव परम्परानुसार बिना चर्चा स्वीकृत किया गया.

8 फरवरी 2024 को हरदा शहर के ग्राम बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से उत्पन्न स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराई गई.

नियम 139 के अधीन प्रदेश में ओला/पाला गिरने से फसलों की क्षति संबंधी अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के बाद किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया.

3. दिनाँक 1 से 19 जुलाई 2024 के तृतीय सत्र में कुल 14 बैठकें प्रस्तावित थीं किन्तु 5 बैठकें सम्पन्न हुईं. सत्रकाल में कुल 4287 प्रश्न, 37 स्थगन प्रस्ताव प्राप्त, 175 नियम 267-क के अधीन सूचनाएं, 503 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं, 285 याचिकाएं प्राप्त हुईं, 11 शासकीय विधेयक पारित हुए, 2 अध्यादेश और 27 प्रतिवेदन पटलित किए गए एवं 11 अधिसूचनाएं पटलित की गईं, कार्य मंत्रणा समिति के 2 एवं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति का 1 प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत किए गए.

वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक का उपस्थापन, सामान्य चर्चा के बाद विभागीय अनुदान मांगें मुखबन्ध (गिलोटिन) द्वारा स्वीकृत की गईं एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक पारित किया गया.

4. दिनाँक 16 से 20 दिसम्बर, 2024 के चतुर्थ सत्र में कुल 5 बैठकें प्रस्तावित व सम्पन्न हुईं. सत्रकाल में कुल 1766 प्रश्न, 7 स्थगन प्रस्ताव प्राप्त, 178 नियम 267-क के अधीन सूचनाएं, 471 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं, 323 याचिकाएं, 18 अभ्यावेदन प्राप्त हुए, 10 शासकीय विधेयक पारित हुए, 1 अध्यादेश और 48 प्रतिवेदन पटलित किए गए एवं 8 अधिसूचनाएं पटलित की गईं, कार्य मंत्रणा समिति एवं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के 1-1, याचिकाओं एवं अभ्यावेदन समिति के 7, प्राक्कलन, प्रश्न एवं संदर्भ, प्रत्यायुक्त विधान एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के 2-2, लोक लेखा समिति के 19 तथा शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति के 3 प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत किए गए.

वित्तीय वर्ष में वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपरक अनुमान की मांगें स्वीकृति उपरांत विनियोग विधेयक पारित किया गया.

नियम 139 के अधीन प्रदेश में किसानों को रबी फसल हेतु खाद नहीं मिलने संबंधी अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के बाद किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री तथा सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अशासकीय संकल्प की 32 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 2 सूचनाएं ग्राह्य हुईं .

इस पुस्तिका में, मंत्रि-परिषद् सूची, माननीय सदस्यों की अद्यतन सूची, निर्धारित दिनदर्शिका, सामान्य सूची, पुनरीक्षित सामान्य सूची, विभागवार प्रश्नोत्तर के लिये निश्चित दिनाँक, सत्र संबंधी संक्षिप्त (सांख्यिकीय) जानकारी, सत्र आमन्त्रण की अधिसूचना एवं पत्रक भाग-दो के साथ ही दिनाँकवार एवं विषयवार समय-विवरण के परिशिष्ट दिये गये हैं.

हमें विश्वास है कि सभा के महत्वपूर्ण संसदीय, विधायी, वित्तीय एवं लोकहितकारी विषयों का यह सारगर्भित संकलन माननीय सदस्यों, अधिकारी-कर्मचारियों, पत्रकारों एवं संसदीय अध्येताओं के लिए उपयोगी एवं संग्रहणीय सिद्ध होगा.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :

विषय-सूची
षोडश विधान सभा - प्रथम सत्र
दिनाँक 18 से 21 दिसंबर, 2023

बैठक क्र.	कार्यवाही की विषय सूची	पृष्ठ

---

1. सोमवार, दिनाँक 18 दिसंबर, 2023
1. राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" का समूहगान
2. षोडश विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों का स्वागत तथा मौन धारण
3. षोडश विधान सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों की सूची पटल पर रखी जाना
4. मुख्य प्रतिपक्षी दल तथा नेता प्रतिपक्ष की घोषणा एवं बधाई
5. सभापति तालिका की घोषणा
6. शपथ/प्रतिज्ञान : माननीय मंत्रीगण, सभापतिगण एवं माननीय सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान.

2. मंगलवार, दिनाँक 19 दिसंबर, 2023
1. शपथ/प्रतिज्ञान (क्रमशः)
2. निधन का उल्लेख

3. बुधवार, दिनाँक 20 दिसंबर, 2023
1. शपथ/प्रतिज्ञान (क्रमशः)
2. स्वागत उल्लेखः श्री व्ही. डी. शर्मा, सांसद तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं हितानंद शर्मा, भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री की उपस्थिति.
3. अध्यक्ष का निर्वाचन (निर्विरोध)
4. अध्यक्ष महोदय का स्वागत एवं बधाई
5. राज्यपाल महोदय का अभिभाषण
6. अध्यक्षीय घोषणा : राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पठित मान्य करने संबंधी
7. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव की प्रस्तुति
8. महापुरूषों के छायाचित्र सदन में लगाये जाने के संबंध में उल्लेख एवं अध्यक्षीय घोषणा

बैठक क्र.	कार्यवाही की विषय सूची	पृष्ठ

4. गुरूवार, दिनाँक 21 दिसंबर, 2023

1. शपथ/प्रतिज्ञान (क्रमश:)
2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना
3. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक
4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा
5. विशेष उल्लेख : एक माननीय सदस्य द्वारा जनसेवा योगदान हेतु वेतन भत्तों एवं पेंशन का समर्पण किया जाना
6. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा.
7. अध्यक्षीय व्यवस्था : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर केवल उपस्थित सदस्यों के संशोधन ही प्रस्तुत मान्य किया जाना.
8. अध्यक्षीय घोषणा : भोजनावकाश न होने विषयक
9. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:).
10. सत्र का समापन
11. राष्ट्रगान : "जन-गण-मन" का समूहगान
12. विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : घोषणा.

षोडश विधान सभा के प्रथम सत्र संबंधी परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"	:	मंत्रि-परिषद् सूची
परिशिष्ट "दो"	:	माननीय सदस्यों की क्षेत्रवार वर्णात्मक सूची
परिशिष्ट "तीन"	:	सत्र आमंत्रण की अधिसूचना
परिशिष्ट "चार"	:	सत्र आमंत्रण संबंधी पत्रक भाग-दो
परिशिष्ट "पांच"	:	बैठकों की निर्धारित दिनदर्शिका
परिशिष्ट "छ:"	:	सत्र संबंधी संक्षिप्त (सांख्यिकीय) जानकारी
परिशिष्ट "सात"	:	बैठकों का विषयवार एवं दिनाँकवार समय विवरण (सारांश)

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 (27 अग्रहायण, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:09 बजे समवेत हुई.

सामयिक अध्यक्ष महोदय (श्री गोपाल भार्गव) पीठासीन हुए

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. षोडश विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों का स्वागत तथा मौन धारण

सोलहवीं मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रथम बैठक के पावन अवसर पर सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा ये विचार व्यक्त किये गये :-

"आज हम एक महत्वपूर्ण एवं पुनीत अवसर पर एकत्रित हुए हैं. सर्वप्रथम मैं, सोलहवीं विधान सभा के लिये निर्वाचित सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूँ. संविधान के अन्तर्गत यह नई विधान सभा निर्वाचित और गठित हुई है, जिसके ऊपर प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण तथा विकास का गुरूत्तर दायित्व है. यह उपयुक्त होगा कि अपनी कार्यवाही आरंभ करने से पहले हम सब, जैसी कि ऐसे अवसर पर परंपरा रही है, खड़े होकर एक मिनिट का मौन रखेंगे".

(माननीय सदस्यों द्वारा एक मिनिट के लिए मौन रखा गया.)

3. षोडश विधान सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों की सूची पटल पर रखी जाना

सामयिक अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार, श्री अवधेश प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव, विधान सभा ने विधान सभा निर्वाचन, 2023 उपरान्त नवीन विधान सभा के गठन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेषित की गई अधिसूचना क्रमांक 308/म.प्र.वि.स./2023 दिनांक 4 दिसम्बर, 2023 जिसमें आम चुनाव में सोलहवीं मध्यप्रदेश विधान सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों की सूची दी गई है, सभा के पटल पर रखी.

4. मुख्य प्रतिपक्षी दल तथा नेता प्रतिपक्ष की घोषणा एवं बधाई

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि – "सोलहवीं मध्यप्रदेश विधान सभा के गठन के पश्चात् विधान सभा के अंदर मुख्य प्रतिपक्षी दल इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक तथा गणपूर्ति के लिए आवश्यक संख्या से अधिक है, इसलिए मैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सदन का मुख्य प्रतिपक्षी दल और उसके नेता श्री उमंग सिंघार, सदस्य विधान सभा को प्रतिपक्ष का नेता घोषित करता हूँ".

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री एवं सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से श्री उमंग सिंघार, सदस्य को नेता प्रतिपक्ष बनने पर शुभकामनाएं और बधाई दी गईं.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, सामयिक अध्यक्ष महोदय एवं समस्त नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सदन को यह विश्वास दिलाया कि विपक्ष जनता की सार्थक आवाज के रूप में रहेगा.

5. सभापति तालिका की घोषणा

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री अजय विश्नोई
(2) श्रीमती अर्चना चिटनीस
(3) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(4) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह
(5) श्री लखन घनघोरिया
(6) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यान सिंह सोलंकी

यह सभापति तालिका शपथ / प्रतिज्ञान ग्रहण करने के पश्चात् प्रभावशील होगी.

6. शपथ / प्रतिज्ञान

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की कि – "अब, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मंत्रिपरिषद् के सदस्यगण, वरिष्ठ सदस्यगण एवं सभापति तालिका के सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे. इसके पश्चात् शेष माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक के अनुसार मेरे सामने आकर शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे और प्रमुख सचिव की टेबल पर रखी सदस्य की नामावली पर अपने हस्ताक्षर करेंगे. जो सदस्यगण निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक अनुसार शपथ नहीं ले सकेंगे या प्रतिज्ञान नहीं कर सकेंगे, वे अन्त में पुन: पुकारे जाने पर शपथ या प्रतिज्ञान कर सकेंगे."

(अपरान्ह 1.32 बजे से 3.31 बजे तक अन्तराल)

सामयिक अध्यक्ष महोदय (श्री गोपाल भार्गव) पीठासीन हुए

तदनुसार, आज दिनांक 18 दिसम्बर 2023 को कुल 207 माननीय सदस्यगण (मंत्रीगण एवं सभापति तालिका के लिये नियुक्त सदस्यगण सहित) द्वारा शपथ ग्रहण / प्रतिज्ञान किया गया तथा सदस्य नामावली में हस्ताक्षर किये गये.

अपराह्न 4.38 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 (28 अग्रहायण, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 (28 अग्रहायण, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

सामयिक अध्यक्ष महोदय (श्री गोपाल भार्गव) पीठासीन हुए

1. शपथ / प्रतिज्ञान (क्रमश:)

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि - "जिन माननीय सदस्यों ने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है, वे शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे". तद्नुसार, आज 13 माननीय सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण / प्रतिज्ञान कर सदस्य नामावली में हस्ताक्षर किये गये.

2. निधन का उल्लेख

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोद्गार व्यक्त किये गये : -

(1) श्री सरताज सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(2) श्री रामदयाल अहिरवार, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(3) श्री भगवत सिंह पटेल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(4) श्री कल्याण जैन, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(5) श्री लीलाराम भोजवानी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(6) श्री ताराचंद पटेल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(7) श्री रामलाल भारद्वाज, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा तथा
(8) डॉ. एम.एस. गिल, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त.

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष एवं डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य द्वारा शोकोद्गार व्यक्त किये गये. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

दिवंगतों के सम्मान में पूर्वाह्न 11.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 (29 अग्रहायण, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 (29 अग्रहायण, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

सामयिक अध्यक्ष महोदय (श्री गोपाल भार्गव) पीठासीन हुए

1. शपथ / प्रतिज्ञान (क्रमश:)

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि - "जिन माननीय सदस्यों ने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है, वे शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे". तद्नुसार, आज 5 माननीय सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण / प्रतिज्ञान कर सदस्य नामावली में हस्ताक्षर किये गये.

2. स्वागत उल्लेख

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में श्री व्ही.डी. शर्मा, सांसद तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं श्री हितानंद शर्मा, भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री की उपस्थिति पर स्वागत उल्लेख किया गया.

3. अध्यक्ष का निर्वाचन

(1) डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि : -
"श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय."
श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव का समर्थन किया.

(2) श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि : -
"श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय."
श्री प्रहलाद सिंह पटैल, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया.

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि : -
"श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय."
श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव का समर्थन किया.

(4) श्री अजय सिंह, सदस्य की अनुपस्थिति के कारण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका.

(5) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि : -
"श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय."
श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया.

(6) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि : -
"श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय."
श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया.

(7) श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि : -
"श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय."
श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया.

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को सर्वसम्मति से अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित घोषित किया तथा उन्हें अध्यक्षीय आसंदी पर आसीन होने के लिये आमंत्रित किया.

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष तथा पक्ष-विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को अध्यक्ष की आसंदी पर आसन ग्रहण कराया गया.

4. अध्यक्ष महोदय का स्वागत एवं बधाई

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष एवं सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद सिंह पटैल, रामनिवास रावत, गिरीश गौतम, गोपाल भार्गव, डॉ. सीतासरन शर्मा, डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, भूपेन्द्र सिंह, अजय विश्नोई, राकेश सिंह, हेमन्त सत्यदेव कटारे, ओमकार सिंह मरकाम, विश्वास सारंग, सदस्यगण द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, अध्यक्ष महोदय को उनके निर्वाचन पर बधाई दी गई.

अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्बोधन में उनके प्रति व्यक्त उद्गारों के लिए माननीय सदस्यगण के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई.

सदन द्वारा राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई.

5. राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

अपराह्न 12.32 बजे, श्री मंगूभाई पटेल, राज्यपाल महोदय का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ. राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण के पश्चात् अपराह्न 1 बजे चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया गया.

6. अध्यक्षीय घोषणा

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पठित मान्य करने संबंधी

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि - "राज्यपाल महोदय द्वारा अपने अभिभाषण के अधिकांश पैराग्राफ पढ़े गए हैं. शेष समस्त पैराग्राफ पढ़े हुए एवं अभिभाषण पटल पर रखा माना जाएगा."

7. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव की प्रस्तुति

श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि:-

'राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं'

श्री प्रहलाद सिंह पटैल, सदस्य ने इसका समर्थन किया.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 का समय नियत किया गया. तदनुसार, माननीय सदस्यों द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को अपराह्न 4 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दिये जा सकते हैं.

8. महापुरूषों के छायाचित्र सदन में लगाये जाने के संबंध में उल्लेख एवं अध्यक्षीय घोषणा

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने आसंदी से अनुमति लेकर उल्लेख किया कि – इतिहास के जिन महापुरूषों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई है जिनमें पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री भगत सिंह, श्री सुभाषचंद्र बोस डॉ. राजेन्द्र प्रसाद एवं अन्य महापुरूष हैं. इन सभी के छायाचित्र लोक सभा में भी लगे हैं, उन सभी के छायाचित्र इस सभा कक्ष में भी लगाने की अनुमति प्रदान की जाए.

सर्वश्री श्री गोपाल भार्गव एवं विश्वास कैलाश सारंग, सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि - "इस सदन की यह परम्परा नहीं है कि अभिभाषण के बाद इस तरह की चर्चा की जाए, यह सदन परम्परा से चलता है इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अध्यक्ष महोदय ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर एक दिन का समय नियत किया है तब इसकी चर्चा कर सकते हैं. "

श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य ने यह सुझाव दिया कि - पूरा सदन सभी महापुरुषों का सम्मान करता है. चाहे वे किसी भी दल या विचाराधारा के हों, जिन्होंने देश के लिये अपना जीवन दिया, उनका सब सम्मान करते हैं. यह बात सही है कि सदन में छायाचित्र लगाने की परम्परा रही है, पर हमारा आसंदी से यह निवेदन है कि आप लोकसभा एवं राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं और विधानसभा भी परम्परा के अनुसार ही चलती हैं. आप बहुत धीर-गंभीर और अनुभवी अध्यक्ष हैं. माननीय रामनिवास रावत ने जो प्रस्ताव दिया है, उसके बारे में आप चाहें तो दोनों दलों के नेताओं की दो-तीन सदस्यों की एक समिति बना दें और इस समिति की बैठक में जो सुझाव आएं उसको पूरा सदन स्वीकार करेगा.

श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य ने सुझाव दिया कि मध्यप्रदेश का परम सौभाग्य है कि इस धरती से स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी जी भारत के प्रधान मंत्री रहे हैं इसलिए इस सदन में उनका छायाचित्र लगाकर सम्मान किया जाना चाहिए.

सर्वश्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, बाला बच्चन, महेश परमार, सदस्यों ने मत व्यक्त किया कि - इसमें कोई समिति की आवश्यकता नहीं है. यह केवल आपके विवेक पर निर्भर है. जिन महापुरूषों ने भारत के लिए योगदान दिया है, जिन्होंने अपने विचारों से युग बदल दिए, हम किसी का विरोध न करें. आप अनुमति देंगे तो इस सदन में पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि के भी छायाचित्र लग सकते हैं.

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने आसंदी से अनुरोध किया कि अभी तक सदन की यह परम्परा रही है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पश्चात् कोई बात नहीं होती है. सदन स्थगित होता है. जो भी बात करनी है अगले दिन कर लेंगे.

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि – "आप सब लोगों की भावनाएं आ गई हैं. माननीय मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात सदन में कह दी है. मैं समझता हूं कि छायाचित्र लगने के लिये कोई न कोई प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिये. इस मामले में एक समिति बना दी जाएगी जो सभी पक्षों से विचार- विमर्श कर, महापुरूषों के नामों का एवं स्थान का चयन करेगी, कब और कहां उनके छायाचित्र लगने हैं, जो रिपोर्ट देगी, उसके बाद हम आगामी कार्यवाही करेंगे".

अपराह्न 1.08 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 (30 अग्रहायण, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

गुरुवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 (30 अग्रहायण, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:04 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

1. शपथ / प्रतिज्ञान (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि - "जिन माननीय सदस्यों ने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है, वे शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे". तद्नुसार, आज एक माननीय सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण कर सदस्य नामावली में हस्ताक्षर किये गये.

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) पटल पर रखा.

3. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित 5 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई हैं, जिनके नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों को नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023)	अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2023
2.	मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023)	अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2023
3.	मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023)	अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2023
4.	मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023)	अधिनियम क्रमांक 21 सन् 2023
5.	मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023)	अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2023

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय ने निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 126-छिन्दवाड़ा से निर्वाचित सदस्य, श्री कमल नाथ एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 127-परासिया से निर्वाचित सदस्य, श्री सोहनलाल बाल्मीक को विधान सभा के दिसम्बर, 2023 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

5. विशेष उल्लेख

एक माननीय सदस्य द्वारा जनसेवा योगदान हेतु वेतन भत्तों एवं पेंशन का समर्पण किया जाना

श्री चैतन्य कुमार काश्यप (रतलाम सिटी), सदस्य द्वारा अध्यक्ष महोदय के सर्वानुमति से निर्वाचन की बधाई देते हुए यह उल्लेख किया कि "राष्ट्रसेवा और जनहित मेरा ध्येय है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये मैं राजनीति में आया हूं. मैं किशोरावस्था से ही समाज सेवा के कार्यों में अग्रसर हूं तथा कई सेवा संस्थानों में प्रकल्पों का संचालन कर रहा हूं. ईश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं जन सेवा में थोड़ा सा योगदान कर सकूं. इसलिए मैंने विधायक के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन राशि नहीं लेने का निश्चय किया है. यह अनुरोध है कि मुझे प्राप्त होने वाली राशि का राजकोष से ही आहरण नहीं हो, ताकि उस का सदुपयोग प्रदेश के विकास एवं जनहित के कार्यों में हो सके.

6. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत, कृतज्ञता ज्ञापन के निम्नलिखित प्रस्ताव पर श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य ने प्रारम्भिक भाषण दिया :-

"राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं"

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर उनके पास 31 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं.

संशोधन बहुत विस्तृत स्वरूप के हैं, इसलिए पूरे संशोधनों को न पढ़कर केवल उनके प्रस्तावकों के नाम और संशोधन क्रमांक ही पढ़ूँगा. जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे उनके संशोधन प्रस्तुत हुए माने जायेंगे :-

क्रमांक	सदस्य का नाम	संशोधन क्रमांक
(1)	श्री अभय कुमार मिश्रा	2
(2)	श्री रजनीश हरवंश सिंह	3
(3)	श्री मोन्टू सोलंकी	4
(4)	श्री देवेन्द्र रामनारायण सखवार	5
(5)	श्री केशव देसाई	7
(6)	श्री सुरेश राजे	8
(7)	श्री राजन मण्डलोई	9
(8)	डॉ.हिरालाल अलावा	10
(9)	श्री दिनेश गुर्जर	11
(10)	श्री आरिफ मसूद	12
(11)	श्री संजय उइके	13
(12)	श्री कमलेश्वर डोडियार	15
(13)	श्री विवेक विक्की पटेल	16
(14)	श्री मधु भगत	17
(15)	श्री सुनील उइके	18
(16)	श्री चैनसिंह बरकड़े	19
(17)	श्री दिनेश जैन बोस	20
(18)	श्री महेश परमार	21
(19)	श्री नारायण सिंह पट्टा	22
(20)	श्री कैलाश कुशवाहा	23
(21)	श्री बाला बच्चन	24
(22)	श्री जयवर्द्धन सिंह	25
(23)	श्री रामनिवास रावत	26
(24)	श्रीमती झूमा डॉ.ध्यान सिंह सोलंकी	27
(25)	डॉ.रामकिशोर दोगने	28
(26)	श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर	29
(27)	श्री राजेन्द्र भारती	30
(28)	श्री आतिफ आरिफ अकील	31

7. अध्यक्षीय व्यवस्था

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर केवल उपस्थित सदस्यों के संशोधन ही प्रस्तुत मान्य किया जाना

श्री गोपाल भार्गव, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि पूर्व में सदन में परंपरा यह थी कि जो संशोधन दिए जाते थे, उस पर हाथ उठाकर सदस्य अपनी उपस्थिति जताते थे. विपक्ष के केवल एक सदस्य ने ही संशोधन प्रस्तुत करने हेतु हाथ उठाया है, शेष जिन सदस्यों ने हाथ नहीं उठाया है. उनके संशोधन अमान्य किए जाने चाहिए.

सर्वश्री राम निवास रावत, बाला बच्चन, सदस्यगण ने आसंदी के माध्यम से सदन का ध्यानाकर्षित किया कि उन्होंने तो माननीय हाथ उठाया है. माननीय सदस्य ने जो बात कही है हम सब इससे सहमत हैं. इसका पालन किया जाना चाहिए. किन्तु आसंदी से ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं आई. इसलिए उपस्थित होते हुए भी हमने हाथ नहीं उठाया.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि - जो सदस्य सदन में उपस्थित हैं कृपया वे हाथ उठायें. (संशोधनों से संबंधित, सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा हाथ उठाये गए).

उपस्थित सदस्यों के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत माने गए.

8. अध्यक्षीय घोषणा

भोजनावकाश न होने विषयक

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि आज भोजन अवकाश नहीं होगा. माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सुविधा अनुसार जाकर भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

9. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

तत्पश्चात् कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया:-

(2) श्री रामनिवास रावत
(3) श्री प्रहलाद सिंह पटैल

सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पाठासीन हुए.

(4) श्री बाला बच्चन
(5) श्री गोपाल भार्गव
(6) श्री फूलसिंह बरैया
(7) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(8) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(9) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

(10) श्री जयवर्द्धन सिंह
(11) श्री अभय कुमार मिश्रा
(12) श्री आरिफ मसूद
(13) श्री लखन घनघोरिया
(14) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यान सिंह सोलंकी
(15) श्री उमाकांत शर्मा
(16) श्री कमलेश्वर डोडियार
(17) श्री महेश परमार
(18) श्री फुंदेलाल सिंह मार्को
(19) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी
(20) श्री दिनेश गुर्जर
श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के भाषण के पश्चात्

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(संशोधनों पर मत लिया गया)

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए.
कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर निम्नानुसार उद्गार व्यक्त किए गए –

"मध्यप्रदेश की नवगठित षोडश विधान सभा का प्रथम सत्र अब समाप्ति की ओर है. इस सत्र में 4 बैठकें हुईं. जिसमें नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की एवं अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ तथा मुख्य प्रतिपक्षी दल और नेता प्रतिपक्ष की घोषणा की गई. संविधान की अपेक्षा अनुसार इस सत्र में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ एवं कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा हुई.

अध्यक्ष के रूप में मेरा यह प्रथम सत्र था जिसमें मैंने आप सभी की अपेक्षा अनुरूप सदन के संचालन का प्रयत्न किया एवं सभी को अपनी बात रखने का यथासंभव अवसर दिया.

यह पवित्र सदन प्रजातंत्र का मंदिर है, जिसमें प्रदेश की जनता का विश्वास और आशाएं पल्लवित होती हैं. इस मंदिर में जन कल्याण की धाराएं निकले और जन-जन तक पहुंचे, हम सब इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ आए हैं, चाहे हम किसी भी दल से हों. इस लक्ष्य की प्राप्ति और पूर्ति के लिए पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को पूरक बन कर एवं सहिष्णुता और सामंजस्य के साथ अपने-अपने कर्तव्यों एवं भूमिका का निर्वाह करना होगा. दलों में वैचारिक भिन्नता होना स्वाभाविक है लेकिन इसमें मनभेद, कटुता और असहिष्णुता का कोई स्थान नहीं है. संसदीय लोकतंत्र भी तभी जीवंत होता दिखाई देता है जब विधायिका में पक्ष-विपक्ष अपने दायित्वों का निर्वहन अपने-अपने तरीके से करते दिखाई देते हैं. यह बात हमें आश्वस्त करती है कि इस संसदीय व्यवस्था से अन्य कोई बेहतर प्रणाली नहीं है क्योंकि इसके माध्यम से समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की भी चिंता की जाती है.

लोकतांत्रिक व्यवस्था का सार यही है कि विधायी सदनों में जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं को उनके प्रतिनिधि पूरी सजगता और मुखरता से उठायें. हम इस बात पर भी गर्व कर सकते हैं कि मध्यप्रदेश विधान सभा की गौरवशाली परम्पराएं रही हैं जिन्हें इसके पूर्ववर्ती सदस्यों ने अपने कार्य-व्यवहार से और समृद्ध किया है.

षोडश विधान सभा में 69 माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं. उन्हें प्रारंभ में यहां का माहौल एवं कार्यप्रणाली सर्वथा नई लगेगी किंतु वे संसदीय पुस्तकों के अध्ययन एवं वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन से अपनी शंकायें और परेशानियां दूर कर सकते हैं. विधान सभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी भी आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं. आप उनकी भी मदद ले सकते हैं. नवनिर्वाचित सदस्यों के शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए शीघ्र ही प्रबोधन कार्यक्रम भी आयोजित होगा.

इस लघु सत्र के सुचारु संचालन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री द्वय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, सभापति तालिका सहित सभी माननीय सदस्यों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े महानुभावों, प्रमुख सचिव विधान सभा, विधान सभा सचिवालय तथा शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को धन्यवाद देता हूं.

मैं अपनी और पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को क्रिसमस और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनकी और प्रदेश की समृद्धि तथा खुशहाली की कामना करता हूँ. अगले सत्र में हम सब पुनः समवेत होंगे, धन्यवाद".

डॉ. मोहन यादव, सदन के नेता (माननीय मुख्यमंत्री) एवं श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी सत्र समापन अवसर पर उद्गार व्यक्त किए गए.

11. राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूहगान किया गया.

12. विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : घोषणा

अपराह्न 4.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 21 दिसम्बर, 2023